



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु०अ०सं०- 88/2017 धारा-354ए,452 भा०द०सं० व 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 1. राकेश राजपूत पुत्र हरगोविन्द नि० ग्राम इटैलियाबाजा थाना जरिया जिला हमीरपुर को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
उ०नि० श्री रावेन्द्र
कुमार



पैरोकार- थाना जरिया
का० सन्तोष यादव